न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 24/2020 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00064
उनवान

1. श्री सोहनलाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी गुड, तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।

—वादी

बनाम

1. श्री भेरा पिता रामाजी मेघवाल, निवासी गुड, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर।
2. श्रीमती मोवनी पत्नी भेराजी मेघवाल, निवासी गुड, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर।
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री भेराजी मेघवाल, निवासी गुड, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर।
4. श्रीमान् भूमिधारी महोदय, तहसीलदार सलुम्बर, जिला—सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—::निर्णय::—

दिनांकः—27.04.2026

उपस्थितिः श्री सुरेश पुरी अधिवक्ता —वादीगण
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता— प्रतिवादी संख्या 1 से 3
भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनने के पश्चता न्यायालय ने दिनांक 22—08—2022 को वादग्रस्त मौजा गुड पटवार हल्का बामनिया जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 233 आराजी नम्बर 687, 688, 1216,1217, 2195, 2203 लगायत 2212 तक, 2233, 2242 कुल किता 17 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि के बटवाडे की प्राथमिक डिक्र जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलूम्बर के पत्रांक 688 दिनांक 09—10—2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को करवाया गया। आदेशिका दिनांक 12.01.2026 को वादी अधिवक्ता ने पालना रिपोर्ट पर आपत्ति होना जाहिर करते हुए मौखिक कथन किया कि मौके पर रास्ता कम चौडाई का है वाद का वाद वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा है। वादी की आपत्ति के खण्डन मे अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि इनके मकान तक पहुचने का रास्ता दूसरी ओर है, रास्ता शामलाती रखा गया है।

आदेशिका दिनांक 15—04—2026 को वादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की गई। पालना रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया। अतः उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पालना रिपोर्ट मे वादी एवं प्रतिवादी के आराजीयात की भूमि तक पहुचने हेतु भूमि शामलाती रखी गई है स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से भी मौके पर पहुच मार्ग होना जाहिर होता है। अतः मौजा गुड पटवार हल्का बामनिया जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 233 आराजी नम्बर 687, 688, 1216,1217, 2195, 2203 लगायत 2212 तक, 2233, 2242 कुल किता 17 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि आराजीयात की कृषि भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है—

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलूम्बर

बजरिये:– श्री जगदीश चन्द बामनिया आर.ए.एस

वाद संख्या–24/2020

उनवान–श्री सोहनलाल बनाम श्री भैरा व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर. टी. एक्ट.

1. खातेदार का नाम– सोहनलाल पिता रामा मेघवाल सा. देह खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 2204/0.19, 2203/0.19, 2211/0.25, 2212/0.20, 2242/1/0.03, 687/1/0.03, 688/1/0.0150, 687/3/0.190 कुल किता 8 रकबा 0.9740 लगानी 1.23 रूपये।
2. खातेदार का नाम– भेरा पिता रामा मेघवाल सा. दहे खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 2195/0.20, 2205/0.07, 2206/0.10, 2207/0.13, 2210/0.10, 2209/0.10, 2233/0.03, 2242/1/0.05, 2208/0.26, 687/2/0.03, 688/2/0.0150, 687/4/0.0150 कुल किता 12 रकबा 1.10 हैक्टेयर लगानी 2.46 रूपये।
3. खातेदार का नाम– सोहनलाल पिता रामा मेघवाल 1/2, भेरा पिता रामा मेघवाल 1/2 सा. देह खातेदार के खाते आराजी नम्बर 687/5/0.0160, 1216/0.02, 1217/0.03 कुल किता 03 रकबा 0.0660 हैक्टेयर लगानी 0.38 रूपये।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे शामलाती रास्ते की भूमि के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न न करे। तथा उभयपक्ष शामलाती भूमि का उपयोग शान्तिपूर्वक कृषि कार्य हेतु करेगे।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 688 दिनांक 09–10–2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रखते हुए एवं पक्षकारो के हिस्से अनुसार खाते पृथक–पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारि की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलूम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 27–04–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर

जिला–सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 24 / 2020 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00064

उनवान

1. श्री सोहनलाल पिता रामाजी मेघवाल उम्र बालिग निवासी गुड, तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादी

बनाम

1. श्री भेरा पिता रामाजी मेघवाल उम्र बालिग
2. श्रीमती मोवनी पत्नी भेराजी मेघवाल उम्र बालिग
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री भेराजी मेघवाल उम्र बालिग
   निवासीयान गुड, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमान् भूमिधारी महोदय, तहसीलदार सलुम्बर, जिला–सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

डिक्री दिनांकः– 27/04/26

वादीपत्र अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश पुरी एवं प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 27/04/26 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा गुड पटवार हल्का बामनिया जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 233 आराजी नम्बर 687, 688, 1216,1217, 2195, 2203 लगायत 2212 तक, 2233, 2242 कुल किता 17 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि आराजीयात की कृषि भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. खातेदार का नाम– सोहनलाल पिता रामा मेघवाल सा. देह खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 2204 / 0.19, 2203 / 0.19, 2211 / 0.25, 2212 / 0.20, 2242 / 1 / 0.03, 687 / 1 / 0.03, 688 / 1 / 0.0150, 687 / 3 / 0.190 कुल किता 8 रकबा 0.9740 लगानी 1.23 रूपये।
2. खातेदार का नाम– भेरा पिता रामा मेघवाल सा. दहे खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 2195 / 0.20, 2205 / 0.07, 2206 / 0.10, 2207 / 0.13, 2210 / 0.10, 2209 / 0.10, 2233 / 0.03, 2242 / 1 / 0.05, 2208 / 0.26, 687 / 2 / 0.03, 688 / 2 / 0.0150, 687 / 4 / 0.0150 कुल किता 12 रकबा 1.10 हैक्टेयर लगानी 2.46 रूपये।
3. खातेदार का नाम– सोहनलाल पिता रामा मेघवाल 1/2, भेरा पिता रामा मेघवाल 1/2 सा. देह खातेदार के खाते आराजी नम्बर 687 / 5 / 0.0160, 1216 / 0.02, 1217 / 0.03 कुल किता 03 रकबा 0.0660 हैक्टेयर लगानी 0.38 रूपये।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे शामलाती रास्ते की भूमि के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न न करे। तथा उभयपक्ष शामलाती भूमि का उपयोग शान्तिपूर्वक कृषि कार्य हेतु करेगे।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पालना रिपोर्ट क्रमांक 688 दिनांक 09—10—2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रखते हुए एवं पक्षकारो के हिस्से अनुसार खाते पृथक—पृथक कायम किये जावे। तहसीलदार सलूम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 27/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादे के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरलीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीसतलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस	—	00
7. आदेशिका की तामील	02	00			
8. स्टाम्प	—	00			
योग	07	00		02	00

सहायक कलक्टर
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर